14|02|14 पत्रावली मूल दावा वादी द्वारा बिक्री करवाया जाने पर प्रस्तुत हुयी चूंकि वादी द्वारा मूल दावा बिक्री करवाया जा चुका है इसलिए आवेदन स्थगन जारी योग्य नहीं है अतः आवेदन स्थगन खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है मिसल फैसला शुमार होकर रेकर्ड हो कर हो।

एस.डी.ओ.

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़